

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-01/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० नूतन बाला, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डौल, मधुबनी के दिनांक-17.05.2016 से 06.10.2016 तक की अवधि को विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक-30.11.2011 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में निम्नांकित रूप में स्वीकृत किया जाता है :-

1	दिनांक-17.05.2016 से 13.08.2016 तक	-	अध्ययन अवकाश को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या- 2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)।
2	दिनांक-14.08.2016 से 06.10.2016 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180 के आलोक में)

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/आर-01/2023-- 214(2) पटना, दिनांक 10/07/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डौल, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/डा० नूतन बाला, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डौल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।